भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3210
दिनांक 18.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन के तहत क्षतिग्रस्त गलियों/सड़कों की मरम्मत

3210. श्रीमती कृष्णा देवी शिवशंकर पटेलः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या जल जीवन मिशन के तहत पेयजल पाइपलाइन बिछाने के कार्यों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों की गलियां और आंतरिक सड़कें काफी क्षतिग्रस्त हो गई थीं और इन कार्यों के पूरा होने के बाद ऐसी सड़कों को निर्धारित मानकों और गुणवत्ता के अनुसार पुनर्निर्मित नहीं किया गया;
(ख) यदि हाँ, तो क्या पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़कों को पुनर्निर्मित करने के लिए निर्धारित मानक ठेकेदारों/एजेंसियों पर लागू थे;
(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़क निर्माण के निर्धारित मानकों का पालन न करने वाले संबंधित ठेकेदारों/एजेंसियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई;
(घ) क्या सरकार ऐसे सभी मार्गों का उनकी पूर्व गुणवत्ता और मजबूती के अनुसार पुनर्निर्माण करने हेतु समयबद्ध योजना बना रही है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार भविष्य में पाइपलाइन बिछाने के बाद सभी सड़कों की सौ प्रतिशत गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु योजनाएँ लागू करने पर विचार कर रही है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (ङ) : भारत सरकार अगस्त 2019 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से देश भर में प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल कार्यान्वित कर रही है। जल राज्य का विषय है। भारत

सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है। जेजेएम के तहत शुरू की गई ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं की अन्य बातों के साथ-साथ जल आपूर्ति पाइपलाइन बिछाने के दौरान प्रभावित होने वाली गलियों या सड़कों की मरम्मत अथवा निर्माण की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है और इसके लिए जेजेएम के तहत उपलब्ध निधियों का उपयोग किया जा सकता है।

इसके अलावा, ग्रामीणों को किसी भी कठिनाई से बचने के लिए, राज्यों को सलाह दी गई है कि वे सड़कों/राजमार्गों जैसे बुनियादी ढांचे को कम से कम नुकसान के साथ ग्रामीण जल योजनाओं को शुरू करें और जल आपूर्ति प्रणालियों के लिए पाइपलाइन बिछाते समय हुई क्षति के मामले में सड़कों/राजमार्गों को तुरंत ठीक करें। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग नल जल-पाइपलाइन बिछाने के लिए क्षतिग्रस्त हुए बुनियादी ढांचे का विवरण नहीं रखता है।

*****